Govt. Of Chhattisgarh

Legal Metrology Organization

Inspection Procedures

-Address-
Chhattisgarh Indrawati Bhawan,
Block-2 Third Floor, Naya Raipur Pin-492002
Phone 07712511727, 2510274 & Fax 0771-2510274
Email-clm.cg@nic.in
Website- http://legalmetrology.cg.nic.in

Table of Contents

Sr. No	Content	Page No
1	Inspection Procedures	3
2	Periodical Verification of all Weights and Measures	5
3	Format of Inspection Report	6
4	List of Documents Required	9
5	Verification of documents and Weights Measures.	12
6	Time line inspections for issuance of Certificate	13
7	Screen Shot of Inspection Format	14
8	Download Verification Certificate	15

1. Inspection Procedures

(A). Original Stamping of Weights and Measures.

Before commercial usage, every weight and measure must be verified and stamped by the Legal Metrology Department. This process is called “Original Stamping”. Every manufacturer of weights and measures must approach the Legal Metrology Department for stamping of weighing and measuring instruments. According to the General Rule-2011, local inspectors of the Legal Metrology Department will check and verify weighing and measuring instruments in the manufacturing units or the spot of the establishment of weights and measures.

(B). Re-stamping and Re-verification of Weights and Measures.

Every weight and measure, which is used in trade and commercial activities, must be verified in a specific periodical verification period. This process is called the “Re-verification” of the weights and measures. This periodical verification is divided into 2 years and 1 year period for different types of weights and measures.

(C). Verification of weigh-bridges

Every non-automatic heavy weighing machine is “Weigh-bridge”. The weigh-bridge must be verified and checked minimum once a year. Local inspectors of the Legal Metrology Department will check and verify the weigh-bridges where these are installed.

(D). Verification of Fuel Dispensers

Processes of measuring of volumes of fuels are called “Fuel Dispenser”, which are used in the petrol pumps. It is mandatory for the owners of the fuel dispensers to ensure the verification of the dispensers minimum once a year.

(E). Verification of Tank-lorries

Tank-lorries, which are used for transportation of fuels, must be checked and verified by the Legal Metrology Department minimum once a year. The tank-lorries will be verified and checked by the local inspectors of the Legal Metrology Department at the nearest Oil Depot of the oil companies.

(A) बाँट–माप का मूल मुद्रांकन

प्रत्येक बाँट–माप उसके निर्माण के प चात् व्यावसायिक उपयोग में लाये जाने के पूर्व नियमानुसार विभाग द्वारा सत्यापित और प्रमाणित करवाया जाना चाहिये, यह प्रक्रिया मूल मुद्रांकन कहलाती है। बाँट–माप का प्रत्येक निर्माता निर्मित उपकरणों का मूल मुद्रांकन इस प्रक्रिया के अंतर्गत करवाएगा, इसके लिए निरीक्षक उसके संस्थान में बाँट–माप का भौतिक निरीक्षण करेंगे।

(B) बाँट–माप का पुनः सत्यापन

प्रत्येक प्रकार के मुद्रांकित बांट माप की नियतकालीन अंतराल (periodical Verification) की प्रक्रिया पुनः सत्यापन कहलाती है। विभिन्न संवर्गों के बाँट–माप के लिए यह 02 वर्ष एवं 01 वर्ष के अंतराल में विभाजित किया गया है। बाँट–माप के पुनः सत्यापन के लिए निरीक्षक भौतिक निरीक्षण करेंगे।

(C) धर्मकांटों का सत्यापन

गैर स्वचालित तौलयंत्र धर्मकांटें (weighbridge) कहलाते हैं, इसका सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार कराया जाना अनिवार्य है। धर्मकांटों के सत्यापन के लिए निरीक्षक उसका भौतिक निरीक्षण करेंगे।

(D) फ्यूल डिस्पेंसर का सत्यापन

तरल ईंधन पदार्थ की मात्रा को मापने के यंत्र फ्यूल डिसपेंसर कहलाते हैं, इनका उपयोग पेट्रोल पंपों में किया जाता है एवं जिनका सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार कराया जाना अनिवार्य है। फ्यूल डिस्पेंसर के सत्यापन के लिए निरीक्षक उसका भौतिक निरीक्षण करेंगे।

(E) टैंकलॉरियों का सत्यापन

तरल ईंधन पदार्थों के परिवहन के प्रयोजन में उपयोग में लाये जाने वाले परिवहन टैंकर का सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार करवाया जाना अनिवार्य है। यह टैंकर ऑयल डिपो में निरीक्षक द्वारा सत्यापित किये जाते हैं।

2. Periodical Verification of all Weights and Measures

बाँट–माप के पुनः सत्यापन की कालावधि

सरल क्र.	**विवरण**	**सत्यापन की कालावधि**
1	सभी प्रकार के धर्मकांटे (Weighbridge), Dispensing Unit, Electronics तौलयंत्र, टैंकलॉरी, आटोमेटिक बेल्टवेयर इलेक्ट्रानिक आयतन मापक, प्रूविंग मेजर्स, रेखीय मापक (टैक्सी मीटर)	12 माह
2	सभी श्रेणियों के बाँट, धारितामाप, लंबाई के नाप, बीम स्केल, काउण्टर **मशीन**	24 माह

INSPECTION REPORT

(Measuring system for liquid other than water)

FUEL DISPENSERS FOR MOTOR VEHICLES-ACCURACY CLASS ----------

(See Rule 13,The legal Metrology (General) Rules, 2011,Eight Schedule part-2)

Date :---------------------------------

Name and Address of organization :--

Name of Owner/Representative Shri :--

DETAIL OF INSPECTION REPORT

S.N.	Product	Make	Serial No. & Model No.	M MQ	SEAL	Delivery Checked with measure			Remarks
						First	Second	Third	
1			Sn.						
			MN.			Last Totalizer Reading			
2			Sn.						
			MN.			Last Totalizer Reading			
3			Sn.						
			MN.			Last Totalizer Reading			
4			Sn.						
			MN.			Last Totalizer Reading			
5			Sn.						
			MN.			Last Totlizer Reading			

Remark:

रोड/रेल वेब्रिज का निरीक्षण टीप

1.संस्था का नाम व पूर्ण पता :–..
....

2.रोड वेब्रिज निर्माता का नाम एवं सरल क्र. :–..

3.अधिकतम क्षमता/ई./श्रेणी :–..

परीक्षण रिपोर्ट – 1 तौल परीक्षण

स. क्र.	रोड वेब्रिज पर रखा गया भार (कि0ग्रा0 में)	रोड वेब्रिज द्वारा प्रदर्शित भार (कि0ग्रा0 में) ↓	अंतर (कि0ग्रा0 में)	रोड वेब्रिज द्वारा प्रदर्शित भार (किलोग्राम में) ↑	अंतर (कि0ग्रा0 में)	टीप
1						
2						
3						
4						
5						

परीक्षण रिपोर्ट – 2कार्नर टेस्ट

स.क	स्थान	रोड वेब्रिज पर रखा गया भार (कि0ग्रा0 में)	रोड वेब्रिज द्वारा प्रदर्शित भार (कि0ग्रा0 में)	अंतर (कि0ग्रा0 मे	टीप
1	**East**				
2	**West**				
3	**North**				
4	**South**				

बाँट–माप/तौलयंत्र/मापक उपकरण का परीक्षण रिपोर्ट

01. संस्था का नाम व पूर्ण पता ....
....
....

02. बाँट–माप उपकरण का विवरण :–

बाँट–माप का प्रकार	निर्माता	क्षमता	श्रेणी	पिछला सत्यापन	अनुज्ञेय त्रुटि	
					+	–

03. बाँट–माप/तौलयंत्र/मापक उपकरण अनुज्ञेय त्रुटि की सीमा में है या नहीं........

हॉ ☐ नहीं ☐

04. निरीक्षण का परिणाम :– सत्यापित ☐ असत्यापित ☐

निरीक्षक ....

4. List of Documents Required

(A) **बाँट-माप** का मूल मुद्रांकन

01. बाँट-माप के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल अनुमोदन के प्रमाण पत्र की प्रति।
02. बांट-माप के निर्माणकर्ता की वैध निर्माता अनुज्ञप्ति की प्रति।
03. निर्धारित शुल्क जमा किए जाने का चालान

(B) बांट–माप का पुनः सत्यापन

01 पूर्व मे जारी सत्यापन प्रमाणपत्र
02. निर्धारित शुल्क जमा किए जाने का चालान

(C) धर्मकांटों का सत्यापन

धर्मकांटा के मूल मुद्रांकन **(Original Verification)** के समय

01 मशीन का भारत सरकार द्वारा जारी माडल एप्रुवल

02. निर्माणकर्ता/विक्रेता की वैध निर्माता/विक्रय अनुज्ञप्ति की प्रति

03. मशीन क्रय करने का कैश मेमो

04. निर्धारित शुल्क जमा किए जाने का चालान

05。 10 प्रतिशत अथवा 01 टन (जो भी कम हो) के सत्यापित और मुंद्राकित बाँट

06。 मुद्रांकन के दौरान विनिर्माता या विक्रेता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति

07. तौल यंत्र की अधिकतम क्षमता के बराबर डमी भार (बाँट अथवा लदानयुक्त ट्रक इत्यादि के रूप में)

धर्मकांटा के पुनः सत्यापन (Re-Verification) के समय

01 पूर्व मे जारी सत्यापन प्रमाणपत्र

02. निर्धारित शुल्क जमा किए जाने का चालान

03. 10 प्रतिशत अथवा 01 टन (जो भी कम हो) के सत्यापित और मुंद्राकित बाँट

04. सत्यापन के दौरान विनिर्माता या विक्रेता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति

(D) फ्यूल डिस्पेंसर का सत्यापन

फ्यूल डिस्पेंसर के मूल मुद्रांकन (Original Verification) के समय

01 मशीन का भारत सरकार द्वारा जारी माडल एप्रुवल

02. मशीन के निर्माता/डीलर/आयातकर्ता के वैध अनुज्ञप्ति/अभिलेख

03. पेट्रोल पम्प संचालन का वैध अनुज्ञापन

04. पम्प की स्थापना के स्थान का प्रमाण

05. निर्धारित शुल्क जमा किए जाने का चालान

06。 निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा सत्यापित 05 लीटर का टेस्ट मेजर।

07. कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति

फ्यूल डिस्पेंसर के पुनः सत्यापन (Re-Verification) के समय

01 पूर्व मे जारी सत्यापन प्रमाणपत्र

02. निर्धारित शुल्क जमा किए जाने का चालान

03. कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति

04。 निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा सत्यापित 05 लीटर का टेस्ट मेजर।

(E) टैंकलॉरियों का सत्यापन

टैंकलारी के मूल मुद्रांकन **(Original Verification)** के समय

01. ज्वलनशील पदार्थ/विस्फोटक अधिनियम के तहत जारी वैध अनुज्ञा पत्रक

02. सत्यापन स्थल पर विधिक मापविज्ञान द्वारा सत्यापित प्रूविंग मेजर की व्यवस्था

03. प्रूविंग मेजर के स्वामित्व के व्यक्ति/संस्था का सहमति पत्र

04。 डिपराड

05. निर्धारित शुल्क जमा किए जाने का चालान

टैंकलारी के पुनः सत्यापन **(Re-Verification)** के समय

01. ज्वलनशील पदार्थ/विस्फोटक अधिनियम के तहत जारी वैध अनुज्ञा पत्रक

02. पूर्व मे जारी सत्यापन प्रमाणपत्र

03. सत्यापन स्थल पर विधिक मापविज्ञान द्वारा सत्यापित प्रूविंग मेजर की व्यवस्था

04. प्रूविंग मेजर के स्वामित्व के व्यक्ति/संस्था का सहमति पत्र

05。 डिपराड

06. निर्धारित शुल्क जमा किए जाने का चालान

5. Verification of documents and Weights Measures.

मूल मुद्रांकन (Original Verification) के लिए निर्धारित चेकलिस्ट

01. बाँट-माप के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल अनुमोदन के प्रमाण पत्र की प्रति।

02. बाँट-माप के निर्माणकर्ता की वैध निर्माता अनुज्ञप्ति की प्रति।

03. जिस विक्रेता से बाँट-माप क्रय किया गया है उसके वैध विक्रय अनुज्ञप्ति की प्रति।

04. तौलयंत्र की स्थिति में:-

(अ) तौलयंत्र की अधिकतम क्षमता का 10 प्रतिशत अथवा 01 टन (जो भी कम हो) के सत्यापित और मुंद्राकित बाँट

(ब) तौलयंत्र की अधिकतम क्षमता के बराबर डमी भार (बाँट अथवा लदानयुक्त ट्रक इत्यादि के रूप में)

(स) सत्यापन हेतु बाँट इत्यादि को रखने एवं उतारने के लिए यांत्रिक अथवा श्रमिकों की समुचित व्यवस्था।

05. मुद्रांकन के दौरान विनिर्माता या विक्रेता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति।

पुनः सत्यापन (Re-Verification) के लिए निर्धारित चेकलिस्ट

01. निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा पूर्व में जारी किये गये सत्यापन प्रमाणपत्र की प्रति।

02. तौलयंत्र की स्थिति में:-

(अ) तौलयंत्र की अधिकतम क्षमता का 10 प्रतिषत अथवा 01 टन (जो भी कम हो) के सत्यापित और मुंद्राकित बाँट

(ब) तौलयंत्र की अधिकतम क्षमता के बराबर डमी भार (बांट अथवा लदानयुक्त ट्रक इत्यादिके रूप में)

(स) सत्यापन हेतु बाँट इत्यादि को रखने एवं उतारने की समुचित व्यवस्था।

03. फ्लोमीटर एवं टैंकलारी के सत्यापन हेतु निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा सत्यापित प्रोविंग मेजर की व्यवस्था।

6. Time line inspections for issuance of Certificate for Original Verification/Re-Verification.

01 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर सहायक नियंत्रक 03 कार्यदिवस के अंदर निरीक्षक का चयन करेगा।

02 चयन होने पर निरीक्षक आवेदक को उस तिथि से अवगत करायेगा, जिस तिथि को वह बाँट–माप के सत्यापन के लिये उपस्थित होगा, यह अवधि 05 कार्य दिवस की होगी।

03 चयनित निरीक्षक निर्धारित दिनांक व समय पर संस्थान का भौतिक सत्यापन का कार्य संपादित करेंगे।

04 भौतिक सत्यापन के प चात् चयनित निरीक्षक 48 घंटे में ऑनलाइन निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे।

05 सहायक नियंत्रक संबंधित निरीक्षक से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन सत्यापन प्रमाणपपत्र जारी करेंगें। जिसे आवेदक विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

7. Screen Shot of Inspection Format

चेकलिस्ट की अनुपालन की जानकारी

	चेकलिस्ट	हाँ, नहीं या जरुरत नहीं चुनें
1	निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा पूर्व में जारी किये गये सत्यापन प्रमाणपत्र की प्रति	हाँ नहीं जरुरत नहीं
2	**तौल यंत्र की स्थिति में:-**	
2.1	तौल यंत्र की अधिकतम क्षमता का 10 प्रतिशत अथवा 01 टन (जो भी कम हो) के सत्यापित और मुंद्राकित बाँट-	हाँ नहीं जरुरत नहीं
2.2	तौल यंत्र की अधिकतम क्षमता के बराबर डमी भार (बाँट अथवा लदानयुक्त ट्रक इत्यादि के रूप में)	हाँ नहीं जरुरत नहीं
2.3	सत्यापन हेतु बाँट इत्यादि को रखने एवं उतारने के लिए यांत्रिक अथवा श्रमिकों की समुचित व्यवस्था।	हाँ नहीं जरुरत नहीं
3	फ्लोमीटर एवं टैंकलारी के सत्यापन हेतु निरीक्षक विधिक मापविज्ञान द्वारा सत्यापित प्रूविंग मेजर की व्यवस्था	हाँ नहीं जरुरत नहीं
4	बाँट माप एवं तौल यंत्र के सत्यापन के लिए नियमाकूल निर्धारित शुल्क जमा किया गया है ?	हाँ नहीं जरुरत नहीं
5	बाँट माप अथवा तौल यंत्र विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम 2011 में वर्णित अनुज्ञेय त्रुटि की सीमा के अंतर्गत है या नहीं	हाँ नहीं जरुरत नहीं
6	आवेदन पत्र मे अंकित जानकारी भौतिक सत्यापन के समय सही पाई गई अथवा नहीं	हाँ नहीं जरुरत नहीं

8. Download Verification Certificate

http://legalmetrology.cg.nic.in

CLICK HERE